



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-15112025-267682
CG-OR-E-15112025-267682

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5023]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 14, 2025/कार्तिक 23, 1947

No. 5023]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 14, 2025/KARTIKA 23, 1947

रेलवे मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 14 नवम्बर, 2025

का.आ. 5193(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37 ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित राज्य में उक्त सारणी के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित परियोजना को निम्नलिखित विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचना करती है।

सारणी
विशेष रेल परियोजना

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	राज्य/क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	"खुदा रोड विभाग के ब्रह्मपुर(बीएएम)-गोलत्रा(जीटीए) स्टेशनों के बीच किमी 605/20-22 पर एल.सी.नंबर.314 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण".	ओडिशा

[फा. सं. सीएओ/निर्माण/आरएसपी/बीबीएस/आरओबी संख्या.314/37ए]

सुधीर कुमार परिदा, मुख्य अभियन्ता (निर्माण-III)

MINISTRY OF RAILWAYS
[East Coast Railway (Construction)]
NOTIFICATION
Bhubaneswar, the 14th November, 2025

S.O. 5193(E).— In exercise of the powers, conferred by **Clause (37A)** of Section-2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby notifies the following project as Special Railway Project as mentioned in **column (2)** of the table below in the State mentioned in **column (3)** of the Table, with effect from the date of publication of this notification in Official Gazette.

TABLE
“Special Railway Projects”

Sl. No.	Name of the Project	State/UT
(1)	(2)	(3)
1	“Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of L.C.No.314 at Km 605/20-22 between Berhampur (BAM)-Golanthra (GTA) stations of Khurda Rd. Division.”	Odisha

[F. No. CAO/C/RSP/BBS/2025/ROB No.314/37A]
SUDHIR KUMAR PARIDA, Chief Engineer (Con-III)